

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश  
एवं राज्य स्कीम (राज्यांश सहित) राशि

3/यो0-28/2017(खण्ड)  
बिहार सरकार  
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश  
(संख्या /2018-19)

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),  
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -.....

विषय:-

समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5018.74 लाख (रु. पचास करोड़ अठारह लाख चौहत्तर हजार), राज्यांश राशि रु. 70585.81 (रु. सात सौ पांच करोड़ पचासी लाख एककासी हजार) एवं राज्य स्कीम में रु. 4114.73/- (रु. एकतालिस करोड़ चौदह लाख तिहत्तर हजार) यानी कुल रु. 79719.28 (रु. सात सौ सनतान्वे करोड़ उन्नीस लाख अठाइस हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के जापांक-5724 दिनांक-27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.17 एवं पत्रांक 4069 दिनांक 08.12.17 के क्रम में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 03 दिनांक 18.04.2018 द्वारा 351538.41 लाख रु (तीन हजार पांच सौ पंद्रह करोड़ अडतीस लाख एकालिस हजार रु0) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5018.74 लाख (रु. पचास करोड़ अठारह लाख चौहत्तर हजार), राज्यांश राशि रु. 70585.81 लाख (रु. सात सौ पांच करोड़ पचासी लाख एककासी हजार) एवं राज्य स्कीम में रु. 4114.73 लाख (रु. एकतालिस करोड़ चौदह लाख तिहत्तर हजार) यानी कुल रु. 79719.28 लाख (रु. सात सौ सनतान्वे करोड़ उन्नीस लाख अठाइस हजार) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	विषय शीर्ष	PFMS Code	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि					
1	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन (51-2235021030219)	60:40	0219.3106	9225	5018.74
योग:-1 (रु. पचास करोड़ अठारह लाख चौहत्तर हजार)					5018.74

-2-

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि					
2	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) (स्थापना प्रशिक्षण सहित) (51-2235021020322)	60:40/ 25:75	0322.0201,1306, 1401,1601,2003, 2101,2601,2802, 5201	9281	25000.00
3	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020325)	60:40	0325.0201,1301, 1310,2003,2101, 2601,2802	1202	4467.97
4	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन-एन0एन0एम0 (ISSNIP सहित) (51-2235021020225)		0225.1301,1310, 2101		4773.79
5	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ(आईसीडीएस) पूरक पोषाहार-सामान्य (51-2236021010303)	50:50	0303.2103	9281	30000.00
6	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन -सामान्य (51-2235021030319)	60:40	0319.3106	9226	1456.38

7	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन-विशेष घटक (51-2235027890313)		0313.3106		1117.84
8	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030325)	60:40	0325.3106	9198	3000.00
9	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, उत्क्रमण, मरम्मत, पेयजल सुविधा एवं शौचालय का निर्माण) (51-4235021020308)	75:25/60:40	0308.2701	9281	759.83
10	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (51-2235021020326)	60:30:10	0326.3106	1177	10.00
<b>योग:-2 (रु. सात सौ पांच करोड पचासी लाख एक्कासी हजार)</b>					<b>70585.81</b>
<b>राज्य स्कीम (राज्यांश सहित)</b>					
11	आंगनबाड़ी सेवाएँ (आईसीडीएस) (स्थापना) (51-2235021020327)	00:100	0327.1301,280 2,3701,5201	9281	508.00
12	आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-सामान्य (51-2235021020117)	00:100	0117.3401		2705.05
13	आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना-विशेष घटक (51-2235027890103)		0103.3401		901.68
<b>योग:-3 (रु. एकतालीस करोड चौदह लाख तिहत्तर हजार)</b>					<b>4114.73</b>
<b>कुल (योग 1+2+3):- (रु. सात सौ सनतान्वे करोड उन्नीस लाख अठाइस हजार)</b>					<b>79719.28</b>

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 10/टि0 पर दिनांक 20.08.218 को माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 10/टि0 पर दिनांक 13.08.2018 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के उपरांत निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड)

/...../दिनांक-

**प्रतिलिपि** -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस., निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 26

/...../दिनांक- 24.08.18

**प्रतिलिपि** -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)